

सेवा में,

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,

मथुरा/आगरा/कानपुरनगर/फैजाबाद/मैनपुरी/गोण्डा/

बलिया/अलीगढ़/वाराणसी व आजमगढ़, प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषय: सीधी भर्ती-2013 चयन परिणाम में फायरमैन के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का सामान्य अग्निशमन प्रशिक्षण कराये जाने तथा नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

कृपया अवगत कराना है कि सीधी भर्ती-2013 के परीक्षा परिणाम फायरमैन के पद पर भर्ती हेतु चयनित 1145 व 30 (कुल 1175) अभ्यर्थियों की सूची पुलिस उप महानिरीक्षक(स्थापना) उ0प्र0पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या: दस-51-2013 दिनांक 19.09.2015 व 16.03.2016 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उक्त सभी चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है।

2. उक्त चयनित 1175 अभ्यर्थियों में से अब तक 567, 358, 114 व 42, (कुल 1081) अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर जनपद आवंटन कर, उनसे संबंधित पत्राविलियों जनपदों को प्रेषित की जा चुकी है।

3. उक्त 1175 अभ्यर्थियों में से अब तक पुनः 39 अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर उसने संबंधित पत्रालियों जनपदों से प्राप्त हुई हैं। इन 39 अभ्यर्थियों में से 03 अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है, एवं न्यायालय में विचाराधीन है। इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र मा0 न्यायालय के निर्णय के अधीन होंगे। इन 39 अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस भर्ती के संबंध में योजित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन किया जाना है। इस इस सभी 39 अभ्यर्थियों के जनपद आवंटन की सूची पत्र के साथ संलग्नकर प्रेषित की जा रही है। सूची, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी ओ0एम0आर0, आवेदन पत्र की प्रतिकृति मूलप्रति संबंधित अभ्यर्थी की चरित्र सत्यापन पत्रावली पर रखकर प्रेषित है।

4. जनपद स्तर पर चरित्र सत्यापन की कार्यवाही में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की तैयार की गयी चरित्र सत्यापन पत्रावली एवं उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र एवं ओ0एम0आर0, आवेदन पत्र की प्रतिकृति में दी गयी सूचना एवं अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का मिलान करा लिया जाय तथा अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों को भी चेक करा लिया जाय। तत्पश्चात् सही पाये गये अभ्यर्थियों की आमद/नियुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें। यदि किसी अभ्यर्थी के फोटोग्राफ, उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं प्रमाण पत्रों में भिन्नता एवं प्रतिकूलता हो तो उस अभ्यर्थी की आमद जनपद में कदापि न की जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को अवगत कराते हुए अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा इस मुख्यालय को भी अवगत कराया जाय।

5. पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0 के पत्र संख्या: दस-51-2013(116), दिनांक 17.05.2016 दिये गये निर्देशों के अनुसार "जेटीसी प्रशिक्षण हेतु आमद करने वाले सभी अभ्यर्थियों से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि यदि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के स्तर से आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के घोषित चयन परिणाम के विरुद्ध कोई निर्णय लिया जाता है, जिससे कुछ अभ्यर्थियों की सेवा परिवर्तित हो सकती है, तथा कुछ अभ्यर्थी चयन परिणाम से बाहर भी हो सकते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को ऐसे निर्णय से होने वाले परिवर्तन स्वीकार होंगे और उन्हें इसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी। अभ्यर्थियों से भराये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न है।

6. उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की दिनांक 26.05.2016 से जनपद में आमद कराकर उन्हें सामान्य अग्निशमन प्रशिक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

7. फायरमैन के पद नियुक्ति का प्रारूप संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं ओ0एम0आर0, आवेदन पत्र की प्रतिकृति में दी सूचना के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाय।

8. पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या: दस-51-2013, दिनांक 13.01.2016 में अंकित है कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होता है तो उनका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पुलिस मुख्यालय एवं इस मुख्यालय को भी अवगत कराया जाय।

9. अभ्यर्थीगण अपने साथ उ0प्र0 पुलिस के वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर इस संबंध में दिये गये प्रारूप 1 एवं 2 में क्रमशः रू0 32/- एवं 42/- के नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र अंकित कराकर तथा नोटरी से उन शपथ-पत्रों को सत्यापित कराकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0द्वारा अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराये गये निर्देश उ0प्र0पुलिस के वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> के फायर सर्विस के सरकुलर पर उपलब्ध है। इस प्रशिक्षण हेतु केन्द्र तक की यात्रा के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र प्रमुख द्वारा प्रशिक्षण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद एवं फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

क्रम सं०	अभ्यर्थी का		पिता का नाम	गृह जनपद	चरित्र सत्यापन का जनपद	जनपद में आगमन की तिथि
	अनुक्रमांक	नाम				
1	2	3	4	5	6	7

11. उक्त प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त समस्त कार्यवाही/चयन प्रक्रिया के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेश के अधीन रहेगा।

12. जनपद/प्रशिक्षण संस्थान रंगरूटों को किट प्रदान किये जाने, उनकी वर्दी सिलवाने, अंशदायी पेंशन योजना के अनुसार PRAN No आवंटित कराने एवं उनकी पास-बुक समय से पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- (1) फायरमैन के पद पर नियुक्ति का प्रारूप।

(2) प्रारूप 1 एवं 2 (नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र हेतु)।



(अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक(अधिष्ठान/बजट)

नि०-पुलिस महानिदेशक

फायर सर्विस मुख्यालय,

उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर सचिव भर्ती, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन/समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ०प्र०।
4. समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ०प्र० को इस आशय से कि अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन उनके द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराया गया, को अपने स्तर से भी आवंटित जनपदों में समय से एवं समस्त निर्देशों/अभिलेखों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करायें। आपके जनपद में पूर्व से सामान्य अग्निशमन प्रशिक्षण हेतु आमद करने वाले सभी अभ्यर्थियों से इस आशय का रू० 10/-के नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर लिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है, लिया जायेगा कि यदि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उ०प्र०पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के स्तर से आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के घोषित चयन परिणाम के विरुद्ध कोई निर्णय लिया जाता है, जिससे कुछ अभ्यर्थियों की सेवा परिवर्तित हो सकती है, तथा कुछ अभ्यर्थी चयन परिणाम से बाहर भी हो सकते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को ऐसे निर्णय से होने वाले परिवर्तन स्वीकार होंगे और उन्हें इसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस संबंध में आपके द्वारा अभ्यर्थियों शपथ पत्र प्राप्त कर लिया गया होगा। यदि शपथ-पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, तो उसे प्राप्त कर लें और भविष्य में भी प्राप्त करते रहेंगे।

प्रतिलिपि: उक्त समस्त अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने नाम के सम्मुख आवंटित जनपद में निर्धारित तिथि, अभिलेखों तथा प्रारूप 1 एवं 2 (नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र) एवं बुलावा पत्र के साथ संबंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, को अपनी उपस्थिति/योगदान प्रस्तुत करें।

एफ0एस0-506-2015 रिकूट फायरमैन के जनपद आवंटन की सूची

क्र0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	गृह जनपद	निवास का पता	आवंटित जनपद
1	1936558	रजत सिंह	आर.एस. शेखावत	07.08.1993	अन्य जनपद	क्वा0नं0 28, टाइप-2, सी.आई. एस.एफ. कैम्पस, कुण्डा अम्बर, जयपुर, राजस्थान-302028	मथुरा
2	1936585	अमिताभ यादव	प्रकाश चन्द यादव	25.11.1992	अन्य जनपद	कोहारी, बेहरोर, अलवर, राजस्थान-301713	आगरा
3	3744220	सुनील कुमार	राम सजीवन	26.02.1990	जौनपुर	ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट रज्जुपुर, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर, उ0प्र0-222202	कानपुर नगर
4	1191907	सुशील कुमार सरोज	श्यामजी सरोज	17.03.1994	जौनपुर	रायपुर, म. बादशाहपुर, जौनपुर, उ0प्र0-222202	कानपुर नगर
5	3314275	उपेन्द्र सोनकर	प्रेम चन्द	16.11.1993	जौनपुर	ग्राम कुहईपुर, महिला थाना के सामने, जनपद जौनपुर, उ0प्र0-222002	कानपुर नगर
6	1505014	मनीष कुमार	हरि बेलास	10.07.1992	बस्ती	ग्राम डेल्हवा, पोस्ट डेल्हवा, थाना कलवारी, जिला बस्ती, उ0प्र0-272301	फैजाबाद
7	3746836	रोशन कुमार	श्याम सुन्दर	07.03.1992	चन्दौली	ग्राम-दूदे, पोस्ट-बबुरी, जनपद चन्दौली, उ0प्र0-232102	फैजाबाद
8	3846962	नीरज कुमार	ओमवीर सिंह	05.10.1991	अलीगढ़	ग्राम-नगला भुविया पोस्ट-कैमथल, जनपद अलीगढ़, उ0प्र0-202123	मथुरा
9	1192224	अजय सिंह	बंशी लाल	16.06.1994	फतेहपुर	20 एच.सी. 4 पी.ए.सी. थाना धूमनगंज, जिला इलाहाबाद, उ0प्र0-261011	कानपुर नगर
10	3454014	शत्रुघ्न सिंह	संगम सिंह	11.08.1992	गोरखपुर	ग्राम दुगरी खुर्द, पो0 चौरी चौरी, जिला गोरखपुर, उ0प्र0-273201	फैजाबाद
11	3026532	मनोज कुमार	सुक्खू	20.01.1987	गोरखपुर	ग्राम बैलतीहा, पोस्ट गोपालपुर तहसील खजनी जिला गोरखपुर-273406	फैजाबाद
12	1905588	प्रमोद कुमार	रामजी प्रसाद	10.12.1990	गोरखपुर	राम चौराहा, कम्पेयरगंज, गोरखपुर-273158	फैजाबाद
13	3015349	अभय यादव	उदय पाल सिंह	05-07-1991	फिरोजाबाद	ग्राम व पोस्ट- कोंडर, थाना-फरिहा, जनपद फिरोजाबाद, उ0प्र0 283207	कानपुर नगर
14	3759460	दीपक कुमार	गिरिराज सिंह	02-08-1992	मेरठ	ग्राम-पिनाई, पोस्ट- गडीना, तहसील- मवाना, जनपद मेरठ	मैनपुरी
15	3386581	सुजीत कुमार प्रजापति	माधव प्रजापति	01-10-1994	बलिया	ग्राम व पोस्ट- चौरा, थाना-नरही, जनपद बलिया, उ0प्र0-277502	गोण्डा
16	2742380	सुशील कुमार सरोज	हीरा लाल	15-01-1987	जौनपुर	ग्राम बनगांव, पोस्ट सराय बीका, तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर उ0प्र0-222202	कानपुर नगर
17	3807998	रोहित कुमार यादव	सभाजीत यादव	16-08-1990	जौनपुर	ग्राम व पोस्ट-सिकरारा, थाना-सिकरारा, जनपद जौनपुर, उ0प्र0-222131	कानपुर नगर
18	3135598	बलवन्त कुमार	रामरेश राम	10-02-1995	गाजीपुर	ग्राम भीमपुर पोस्ट-सबुआ, थाना- करण्डा, जनपद गाजीपुर उ0प्र0- 233302	बलिया
19	3124702	कवीन्द्र यादव	बालचन्द यादव	05-07-1990	गाजीपुर	ग्राम-पडैनियां (करनपुर) पोस्ट मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर, उ0प्र0-233227	बलिया
20	3729168	सौरभ यादव	कृष्ण कुमार यादव	15-07-1989	गाजीपुर	ग्राम व पोस्ट होलीपुर, थाना-सैदपुर, जनपद गाजीपुर, उ0प्र0-233304	बलिया

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

21	3056583	शैलेन्द्र कुमार निषाद	रमेश कुमार निषाद	02-01-1991	अम्बेडकर नगर	ग्राम-इकोना दुल्लापुर, पोस्ट सया थाना- भीटी, तहसील भीटी, जनपद अम्बेडकरनगर, उ0प्र0-224152	फैजाबाद
22	2135428	जय प्रकाश	राम सुरेश	07-08-1990	अम्बेडकरनगर	ग्राम-गोवर्धनपुर, पोस्ट-कवह, अन्जानपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर, उ0प्र0-224181	फैजाबाद
23	3299303	जयविन्द्र	ओमी	03-08-1987	मेरठ	ग्राम व पोस्ट मवाना, खुर्द, तहसील मवाना, जनपद मेरठ, उ0प्र0- 250401	मैनपुरी
24	3760003	दिनेश कुमार	कमल सिंह	18-07-1987	मेरठ	100-सराय काजी, पोस्ट-मेडिकल कालेज, गढ़ रोड, जनपद मेरठ, उ0प्र0- 280004	मैनपुरी
25	3195823	विनय कुमार	राम अवतार	05-05-1990	बरेली	ग्राम-चम्पतपुर, पोस्ट-रेवती, तहसील- आर्वला, जनपद बरेली, उ0प्र0-243301	अलीगढ़
26	3398082	हिमान्शु शरद	अशोक एस चौधरी	18-01-1988	मुरादाबाद	गौतम नगर, शाहपुर तिगरी रोड, निकट पुलिस चौकी, खुशहालपुर, थाना- मझौला, जनपद मुरादाबाद, उ0प्र0-244001	अलीगढ़
27	3561979	सचिन कुमार	हरपाल सिंह	03-02-1992	मुजफ्फरनगर	ग्राम व पोस्ट-मुण्डभर थाना-भौराकला, जनपद मुजफ्फरनगर, उ0प्र0-251319	अलीगढ़
28	3305830	अंकुर कोली	नरेश चन्द	07-03-1991	सहारनपुर	सी-24, बिजेश नगर, निकट शिव मन्दिर, पेपर मिल रोड, जनपद सहारनपुर, उ0प्र0-247001	अलीगढ़
29	3566349	कौशल गिरि	दिनेश गिरि	04-11-1990	बुलन्दशहर	ग्राम- मुरसाना, पोस्ट-सहकारी नगर, जनपद बुलन्दशहर, उ0प्र0- 203150	अलीगढ़
30	3007635	अमित प्रताप सिंह	करन सिंह	20-08-1992	मथुरा	ग्राम- बुर्जतुला, पोस्ट-नगला सजा, थाना-बल्देव, जनपद मथुरा, उ0प्र0 281301	अलीगढ़
31	2166084	सागर राज	श्याम प्रसाद गुप्ता	05.09.1994	अन्य जनपद	बिछ बाजार हरनौट, नालन्दा, बिहार-803110	बलिया
32	2159036	रंजीत कुमार	कन्हैया प्रसाद	24.10.1994	अन्य जनपद	ग्राम नोनसरी, सासाराम, नोखा, रोहतास, बिहार-802215	बलिया
33	2162893	मनीष कुमार	चन्देश्वर चौधरी	07.03.1995	रोहतास	उसरी, दावथ, विक्रमगंज, रोहतास, बिहार-802226	बलिया
34	2150339	कुमार गौरव	सुनील कुमार सिंह	10.11.1994	अन्य जनपद	दावथ, विक्रमगंज, रोहतास बिहार-802226	बलिया
35	1567637	गुलशन कुमार	दिलीप सिंह	12.08.1994	पटना	ग्राम नरौली डीह, पोस्ट करौता, थाना सालिमपुर, जिला पटना, बिहार-803202	वाराणसी
36	2163530	अमरेन्द्र कुमार सिंह	हरिचरन सिंह	05.10.1992	सारण छपरा	सतघट्टा, हथवान, थाना अलौली, खगरिया, बिहार-848203	वाराणसी
37	3123575	सुधीर कुमार भारती	शिव मूरत वर्मा	20.08.1993	बलिया	ग्राम व पोस्ट जाम, पूरब मुहल्ला, थाना रसड़ा, जिला बलिया, उ0प्र0-221712	आजमगढ़

पुलिस अधीक्षक, बलिया के पत्र सं०-न-153/2015, दिनांक 28.03.2016 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध मु०अ०सं०-159/15 धारा-498 ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । प्रकरण में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय, जनपद बलिया के आदेश दिनांक 18.01.2016 द्वारा दोषमुक्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के पत्र सं०-9588/न्याय सहा. -द्वितीय, दि० 29.01.2016 द्वारा अभ्यर्थी सुधीर कुमार भारती पुत्र शिव मूरत राम को फायरमैन के पद पर योगदान हेतु योग्य है। पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा उक्त अभ्यर्थी को फायरमैन के पद पर सेवायोजन किये जाने की संस्तुति की है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

38	3636734	अजय सिंह	लल्लू राम वर्मा	25.05.1994	लखनऊ	ग्राम पूरन खेड़ा, पोस्ट सरई गुदौली, जिला लखनऊ, उ0प्र0-226301	कानपुर नगर
<p>जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ के पत्र सं0-343(3)/सोलह-रा0स0-3/2016,दिनांक 16.02.2016 द्वारा फायरमैन के पद पर चयनित अभ्यर्थी अजय सिंह पुत्र लल्लू राम नि0-पूरनखेडा, थाना-गोसाईगंज, तहसील मोहनलालगंज</p> <p>जनपद लखनऊ को चयनित किये जाने के संबंध में संयुक्त निदेशक, अभियोजन लखनऊ से विधिक राय/आख्या प्राप्त की गयी। संयुक्त निदेशक अभियोजन, कलेक्ट्रेट लखनऊ ने अपनी आख्या दिनांक 06.02.2016 द्वारा अवगत कराया है कि चयनित अभ्यर्थी अजय सिंह का कृत्य Deproved charracter की परिधि में नहीं आता, प्रतीत होता है। अतः चयनित अभ्यर्थी को मात्र लंबित अपराध धारा-323/504/325 भादवि है, के आधार पर भर्ती से वंचित नहीं किया जा सकता है। संयुक्त निदेशक अभियोजन लखनऊ की आख्या की छायाप्रति संलग्नकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु कृते-जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्रेषित की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा संयुक्त निदेशक अभियोजन लखनऊ की आख्या व जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ के पत्र की छायाप्रति के साथ मूल पत्रावली अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की है।</p>							
39	3539430	नागेन्द्र सिंह	सत्यवीर सिंह	05.10.1994	आगरा	ग्राम अकोला, पोस्ट अकोला, जिला आगरा, उ0प्र0-283102	अलीगढ़
<p>जिला मजिस्ट्रेट आगरा ने अपने पत्र संख्या-एमवीआर-5122/ईसी, दिनांक 06.05.2016 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को प्रेषित करते हुए चयनित अभ्यर्थी नागेन्द्र सिंह जनपद आगरा के चरित्र सत्यापन आपराधिक इतिहास पाये जाने के पश्चात प्रकरण का परीक्षण कर उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त के संबंध में दिये गये अभिमत में चयनित अभ्यर्थी का पदनाम आरक्षी अंकित होने के कारण अभिमत भी आरक्षी पद नाम से दिया गया था जिसके कारण उनके कार्यालय के पत्रांक एमवीआर-5122/ई0सी0, दिनांक 22.02.2016 में संशोधित किया जाता है कि "अग्निशमन विभाग में फायरमैन" के पद पर चयनित अभ्यर्थी नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री सत्यवीर सिंह, जनपद आगरा को पुलिस सेवा हेतु उपयुक्त पाया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट आगरा की रिपोर्ट दिनांक 22.02.2016 में अंकित है कि</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मु0अ0सं0- 61ए/2011 धारा- 147, 323, 504 भादवि पंजीकृत है, जिससे विवेचना उपरान्त आरोप पत्र संख्या-ए-35/2011 दिनांक 05.06.2011 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है, जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। 2. अभ्यर्थी के विरुद्ध मु0अ0सं0- 323 /15 धारा-147, 148, 149, 323, 353, 336, 307, 393, 290, 504, 506 भादवि व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत हुआ, जिसमें विवेचना से नामजदगी गलत पायी गयी है। दि0 02.12.2015 को अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ तथा दिनांक 02.12.15 को ही अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र/चरित्र सत्यापन प्रपत्र सं0-92 पुलिस कार्यालय में भरा गया है। 3. अभ्यर्थी के विरुद्ध मु0अ0सं0- 324/15 धारा-147, 148, 149, 332, 353, 336, 307, 504, 290,506 भादवि व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत हुआ, जिसमें विवेचना से नामजदगी गलत पायी गयी है। दि0 02.12.2015 को उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ तथा दिनांक 02.12.15 को ही अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र/चरित्र सत्यापन प्रपत्र सं0-92 पुलिस कार्यालय में भरा गया है। 4. अभ्यर्थी के विरुद्ध वर्ष 2011 में मु0अ0सं-84/11 धारा-354 भादवि पंजीकृत हुआ जो विवेचना उपरान्त एफ0आर0 सं0-26/2011 दि0 29.05.2011 विद एक्सपंज की गयी है, जिसका उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा अपने शपथ-पत्र में भी किया गया है। <p>अभ्यर्थी के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी, आगरा ने अभ्यर्थी के उपयुक्त होने के संबंध में निर्णय लिया जाता है,तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्तानुसार पुलिस विभाग में फायरमैन के पद पर चयनित अभ्यर्थी नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री सत्यवीर सिंह को पुलिस सेवा हेतु जिला मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा उपयुक्त पाया गया है।</p> <p>मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के अभिमत सहित चरित्र सत्यापन पत्रावली कमांक-01से 51 तक अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की है।</p>							

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
25/15

रु0 10/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर लिये जाने वाले
शपथ पत्र का प्रारूप

नाम..... अनुक्रमांक (आरक्षी भर्ती 2013 का)..... जन्म-तिथि
..... पुत्र श्री..... निवासी.....थाना.....
जनपद..... का शपथ पत्र।

मैं..... उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ :-

- (1) यह कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013 में फायरमैन के पद पर प्रशिक्षण के लिये मेरा चयन हुआ है, जिसके लिये मुझे बुलावा पत्र भेजा गया है।
- (2) यह कि चरित्र सत्यापन वाले जनपद द्वारा मुझे भेजे गये बुलावा पत्र में किये गये उल्लेख “उक्त प्रशिक्षण (फायरमैन पद का बेसिक प्रशिक्षण) एवं उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया (आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013)के संबंध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा” को मैंने ठीक से पढ़ा है जिसकी मुझे भली-भांति जानकारी है।
- (3) मैं यह भली-भांति जानता हूँ कि यदि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के स्तर से आरक्षी एवं समकक्ष पदों (फायरमैन) पर सीधी भर्ती, 2013 के घोषित चयन परिणाम के विरुद्ध कोई भी निर्णय दिया जा सकता है जिससे कुछ अभ्यर्थियों की सर्विस (सेवा) परिवर्तित हो सकती है तथा मेरिट लिस्ट के कुछ अभ्यर्थी चयन परिणाम से बाहर भी हो सकते हैं। मा0 न्यायालय के ऐसे निर्णय से यदि फायरमैन के पद से मेरी सेवा आरक्षी पुलिस या आरक्षी पीएसी के पद हेतु परिवर्तित होती है अथवा मेरा नाम चयन परिणाम से बाहर हो जाता है तो तदनुसार की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी और उसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

शपथकर्ता का निशान अंगूठा

शपथकर्ता

मैं उपर्युक्त अभिसाक्षी, शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि इस पत्र के प्रस्तर..... में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य एवं सही है, इस शपथ पत्र के प्रस्तर..... में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है और जिन्हें मैं विश्वास करता हूँ कि वे भी सत्य है, इसका कोई अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करे।

अभिसाक्षी

आज दिनांक..... को पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद.....।

संख्या-

दिनांक 2016

सेवा में,

(अभ्यर्थी का नाम व
पता लिखा जाय)

विषय :- प्रशिक्षण सत्र 2015-16 में फायरमैन के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का फायरमैन के पद पर बेसिक प्रशिक्षण हेतु आवंटित प्रशिक्षण संस्थान/जनपद में उपस्थित होने के संबंध में।

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-पीआरबी:अनु0-6-प-06/2015, दिनांक 20.11.2015 द्वारा 1145 चयनित अभ्यर्थियों की बुकलेट संलग्न कर अवगत कराया गया है कि इन 1145 चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम अपरिवर्तनीय है। इस सूची में फायरमैन के पद हेतु श्रेष्ठताक्रम मेंअभ्यर्थीगण है। उक्त परिणाम एवं चरित्र सत्यापन से उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप आपको फायरमैन पद के बेसिक प्रशिक्षण हेतु जनपद/संस्थान..... आवंटित किया गया है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप आवंटित जनपद/प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक ... को विलम्बतम अपरान्ह..... बजे तक अपने आगमन की सूचना दे दें।

2. आप अपने साथ प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी। उसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की वेबसाइट पर इस संबंध में दिये गये प्रारूप 1 एवं 2 में क्रमशः रू0 32/- एवं रू0 42/- के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित जनपद/ प्रशिक्षण संस्थान का प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्देश उ0प्र0 फायर सर्विस की वेबसाइट www.upfireservice.gov.in पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट से आप संबंधित निर्देश डाउनलोड कर तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. जनपद/प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों को पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4. उक्त प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के संबंध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

(नियुक्तकर्ता अधिकारी का नाम)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

जनपद-.....।

मूल पर नहीं।

प्रतिलिपि: जनपद/संस्थान प्रमुख..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

फायरमैन के पद पर नियुक्ति का प्रारूप

उ०प्र० अग्निशमन अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, के प्रावधानों के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अधियाचित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं फायरमैन पदों पर भर्ती-2013 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी..... अनुक्रमांक..... पुत्र श्री निवासी ग्राम..... पोस्ट..... थाना-..... तहसील जिला..... (पिन कोड नं०.....) को फायरमैन पद पर नियुक्ति हेतु संयुक्त निदेशक(अधि०/बजट), नि० पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक दिनांक..... द्वारा जनपद..... आवंटित किया गया है।

2. अतः अभ्यर्थी..... अनुक्रमांक..... पुत्र श्री निवासी ग्राम..... पोस्ट..... थाना-..... तहसील जिला..... (पिन कोड नं०.....) को उ०प्र० अग्निशमन अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2010 (यथा संशोधित) के अधीन रिक्त फायरमैन के पद पर अस्थायी रूप से जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हें नियमानुसार अनुमन्य पे-बैंड रू० 5,200-20,200 ग्रेड पे 2,000/- के अनुसार प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी जो कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी/प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उक्त अभ्यर्थी को जनपद में ही रखकर प्रारम्भिक अग्निशमन प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।

(नियुक्तकर्ता अधिकारी का नाम)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद-.....।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद.....।

संख्या-

दिनांक 2016

प्रतिलिपि :-

प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने तथा उक्त रिक्त फायरमैन की भर्ती एवं प्रशिक्षण संबंधी सभी कार्य समय से पूर्ण कराने, सामान्य अग्निशमन प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु।

2. आंकिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. अभ्यर्थी..... अनुक्रमांक..... पुत्र श्री

निवासी ग्राम..... पोस्ट..... थाना-.....

..... तहसील जिला..... (पिन कोड नं०.....) को अनुपालनार्थ।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिरीक्षक-प्रशिक्षण, उ०प्र० पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।

2. पुलिस महानिरीक्षक..... जोन.....।

3. पुलिस उप महानिरीक्षक..... परिक्षेत्र.....।

4. संयुक्त निदेशक(अधि०/बजट), नि० पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ को उनके पत्र संख्या-.....

..... दिनांक के संदर्भ में।

परिशिष्ट "ख" (1)

प्रशिक्षण संस्थान में खेल, साज-सज्जा तथा अन्य व्ययों तथा नियमानुसार अनुमन्य वेतन प्रशिक्षण काल में दिया जायेगा, के संबंध में अभ्यर्थी (रिक्रूट) के माता, पिता संरक्षक या मित्र (प्रतिभू) के हस्ताक्षर हेतु बन्ध पत्र।

प्रतिभू चूंकि मैं आत्मज श्री जिला..... का निवासी हूँ और चूंकि पुलिस सेवा हेतु प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ सामान्य अग्निशमन प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिये उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में भर्ती हेतु आत्मज श्री..... निवासी..... को चयनित किया गया है और उसने सरकार की सेवा को वरण किया है। अतएव यह बन्ध-पत्र दिनांक जो उक्त के निमित्त प्रतिभू..... प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित हुआ है। इस बात का साक्षी है कि उक्त..... के उक्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रतिफलस्वरूप उक्त इस बन्ध के दिनांक से उक्त संस्थान में परिश्रम पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए तब तक रहेगी जब तक संयुक्त निदेशक(अधि0/बजट), नि0 पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस उ0प्र0 या उक्त संस्थान के प्रमुख उसे अपना प्रशिक्षण छोड़ने की अनुमति न प्रदान करें और वह उक्त संस्थान से संबंधित अभ्यर्थियों (रिक्रूट्स) के लिये निर्धारित नियमों का सच्चे दृश्य से पालन करेगा। उक्त का उक्त अवस्था कि उक्त.....
. अभ्यर्थी (रिक्रूट)

1. उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा फायरमैन रिक्रूट की परीक्षा पास न करे।
2. प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे।
3. दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
4. उक्त संस्थान से संबंधित अभ्यर्थियों (रिक्रूट्स) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करे अथवा इन नियमों के अधीन उक्त संस्थान से बहिष्कृत अथवा पृथक किया जाय।
5. प्रशिक्षण के पश्चात 01 वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।
6. साज-सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
7. उक्त संस्थान के प्रमुख द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संतोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या पृथक किये जाये तो ऊपरलिखित किसी भी दशा में उक्त रिक्रूट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये बचनबद्ध हैं :-
 - 1- वह सब धनराशि जो साज-सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के संबंध में उससे देय पायी जावें।
 - 2- वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे नियमानुसार अनुमन्य वेतन के रूप में दी जाय।
 - 3- वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो।
 - 4- और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा, कि उक्त धनराशि रिक्रूट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव प्रमाण-पत्र पर जो उक्त रिक्रूट पर बाध्यकर एवं अन्तिम होगा माल गुजारी की भांति वसूल होगा।

साक्षी

1-.....

2-.....

हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थान.....

परिशिष्ट "ख" (2)

प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी (कैडेट) के हस्ताक्षर कराने के लिये बन्ध पत्र

मैं..... आत्मज श्री..... जिला.....
..... का निवासी हूँ।स्थित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वर्ष
में चुना गया हूँ। (जिसे आगे रिक्कूट फायरमैन कहा गया है)

उक्त रिक्कूट राज्यपाल उत्तर प्रदेश के साथ प्रसंविदा करता है कि उक्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उक्त संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रभारी द्वारा समय-समय पर जो भी साज-सज्जा उसे मिलेगी और जिसके निमित्त वह कोई धनराशि न दे, और जिसके मूल्य के संबंध में उसे यथा समय सूचना दी जाय, उसका वह उस अवस्था में जबकि वह सफल हो जाये और किसी जिले में नियुक्त हो जाये सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान 12 मासिक किस्तों में कर देगा इनके निमित्त वह एकाउन्टेन्ट को एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है कि वह इस धनराशि को उसके उस वेतन से काट लिया जाये, वह जिस जिले में सेवा प्रारम्भ करें।

उक्त रिक्कूट को त्याग पत्र देने, प्रशिक्षण बन्द कर देने या पदच्युत किये जाने पर यह विकल्प होगा कि वह या तो उन वस्त्रों और अन्य वस्तुओं को जिन्हें उक्त संस्थान के प्रमुख ने उसे संस्थान में प्रवेश करने के समय दिये हों अथवा जो बाद में कॉटेज स्टोर से मिले हो, अपने पास रखे या वह उन्हें ऐसे मूल्य पर, जिसे उक्त संस्थान प्रमुख/प्रभारी निश्चित करें, संस्थान प्रमुख के हाथ बेच सकता है।

उक्त रिक्कूट राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश से यह भी प्रसंविदा करता है कि यदि वह :-

1. उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा कि विहित प्रशिक्षण की परीक्षा पास न करे।
2. प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे दें।
3. दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
4. प्रशिक्षण काल में अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, फायर सर्विस उ0प्र0 अथवा उक्त संस्थान के प्रमुख/प्रभारी की बिना पूर्व अनुमति के उक्त संस्थान छोड़कर चला जाय या प्रशिक्षण बन्द कर दे।
5. उक्त संस्थान से संबंधित अभ्यर्थियों (रिक्कूट) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करें, अथवा इन नियमों के अधीन उक्त संस्थान से बहिष्कृत अथवा पृथक किया जाय।
6. प्रशिक्षण के पश्चात एक वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग-पत्र दे दें।
7. साज-सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
8. उक्त संस्थान के प्रमुख/प्रभारी द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संतोषजनक न पाये जाने पर संस्थान से बहिष्कृत या पृथक किया जाये तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त रिक्कूट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचनबद्ध है :-

- 1- वह सब धनराशि जो साज-सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के संबंध में उससे देय पायी जाय।
- 2- वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे नियमानुसार अनुमन्य वेतन के रूप में दी जावे।
- 3- वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उसे उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि उक्त रिक्कूट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के प्रमाण पत्र पर जो उक्त रिक्कूट पर बाध्यकर एवं अन्तिम होगा। मालगुजारी की भांति वसूल होगा।

साक्षी

1-.....

2-.....

हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थान.....